

नवभारत



भारत सरकार

CBC 35101/13/0113/2526

पशुधन विकास के कार्यों से मज़बूत होगी आजीविका, समृद्ध होंगे परिवार

अब बनेंगे पशु, मत्स्य और पोल्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और सशक्त होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था



Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) : VB - G RAM G

(विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025

125 दिन

की रोज़गार गारंटी



स्पीकर के खिलाफ 'अविश्वास'

120 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ नोटिस सौंपा, राहुल गांधी का नाम नहीं

नई दिल्ली, 10 फरवरी . संसद के भीतर टकराव एक नए स्तर पर पहुंच गया है. विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंप दिया है. इस कदम ने संसद की राजनीति में हलचल तेज कर दी है और सदन की निष्पक्षता को लेकर बहस छेड़ दी है.

कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के करीब 120 सांसदों ने लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को यह नोटिस सौंपा है. नोटिस में स्पीकर पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और कांग्रेस सांसदों पर झूठे आरोप लगाए. विपक्ष का कहना है कि यह संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटिस में कांग्रेस सांसदों में राहुल गांधी का नाम नहीं है. साथ ही टीएमसी ने भी अविश्वास प्रस्ताव से दूरी बना ली है.



अविश्वास प्रस्ताव बना टकराव की वजह

बता दें कि विवाद की जड़ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान की कार्यवाही बताई जा रही है. विपक्ष का आरोप है कि इस दौरान स्पीकर ने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका, जिससे विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला. विपक्षी दलों का कहना है कि यह लोकतांत्रिक की मूल भावना के खिलाफ है, जहां हर पक्ष को अपनी राय रखने का अधिकार होता है.



स्पीकर की टिप्पणी पर विपक्ष की नाराजगी

नोटिस में कहा गया है कि सदन में स्पीकर की टिप्पणी से कांग्रेस सांसदों पर स्पष्ट रूप से झूठे और भ्रामक आरोप लगे, जिससे विपक्ष की छवि को नुकसान पहुंचा. विपक्ष का तर्क है कि स्पीकर का पद संवैधानिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में यह निष्पक्षता सवालों के घेरे में है.

प्रस्ताव का नोटिस सौंपे जाने के बाद आगे क्या होगा ?

अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपे जाने के बाद अब गैर संसद के प्रक्रिया तंत्र के पाले में है. प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा या नहीं, इस पर आगे की कार्यवाही तय होगी. वहीं सत्ता पक्ष ने फिलहाल इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टकराव आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही और राजनीतिक माहौल दोनों को प्रभावित कर सकता है. लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाया गया यह प्रस्ताव न सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया है, बल्कि यह संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ते अविश्वास का भी संकेत देता है.

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने तक लोस नहीं जाएंगे बिरला

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन में नहीं आने का फैसला किया है. सूत्रों के मुताबिक, जब तक उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा और उस पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वह लोकसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे.

पेंगुइन बोली- कोई भी हिस्सा पल्लिश नहीं किया

पेंगुइन कंपनी ने कहा- अब तक किताब की न तो कोई प्रति छपी हुई और न ही डिजिटल कॉपी सामने आई है. हमारी तरफ से किताब का कोई भी हिस्सा कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया है. कंपनी की सफाई इसलिए आई, क्योंकि बुक की अनअथॉराइज्ड कॉपियों के लीक और ऑनलाइन सर्कुलेशन का दावा है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है.

साइबर सुरक्षा ढांचा बनाएंगे : शाह

सरकार एजेंसियों को साझा तंत्र में जोड़कर कर रही है काम

नई दिल्ली, 10 फरवरी. देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल लेनदेन के साथ साइबर अपराध भी नए और खतरनाक रूप में सामने आ रहे हैं. गृहमंत्री अमित शाह ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में हर तीन सेकंड में एक व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार हो रहा है. इसी चुनौती को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अगले पांच वर्षों में साइबर अपराध पर निर्णायक नियंत्रण नहीं पाया गया, तो यह कानून-व्यवस्था से आगे बढ़कर राष्ट्रीय संकट बन सकता है. सरकार अब आरबीआई, एनआईए, सीबीआई और अन्य एजेंसियों को एक साझा तंत्र में



जोड़कर अभेद्य साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार कर रही है. भारत दुनिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन का अग्रणी देश बन चुका है. ऐसे में करोड़ों जनधन खातों, अरबों ऑनलाइन लेनदेन और पंचायत स्तर तक फैले डिजिटल नेटवर्क की सुरक्षा बड़ी जिम्मेदारी है.

राष्ट्रीय सुरक्षा को भी चुनौती

शाह ने 'सी' की भूमिका को और मजबूत करने, रियल टाइम रिपोर्टिंग बढ़ाने, साइबर हाइजीन पर जोर देने की बात कही. 100 में से 93 लोग किसी न किसी रूप में साइबर खतरों की जद में हैं. यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि डेटा चोरी के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा को भी चुनौती है. सरकार ने 30 नवंबर 2025 तक 23 करोड़ से अधिक साइबर शिकायतें दर्ज कीं, जिनमें 1.85 लाख एफआईआर हुईं. दिसंबर 2025 तक 12 लाख सिम कार्ड रद्द किए गए और 3 लाख मोबाइल आईएमईआई ब्लॉक किए गए.

एमबीबीएस छात्रा की संदिग्ध मौत

कोहेंफिजा थाना पुलिस कर रही जांच

नवभारत रिपोर्टर **भोपाल, 10 फरवरी.** गांधी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की एक 19 वर्षीय छात्रा की मंगलवार को संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. कोहेंफिजा इलाके में निजी छात्रावास में छात्रा, जिस कमरे में रहती थी उसी कमरे के बाथरूम में उसे देखा गया. मौके पर छात्रा के

पास मिली एसिड को बोतल भी को जब्त किया गया है. मर्ग कायम कर कोहेंफिजा थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मिली जानकारी के मुताबिक अलौराजपुर निवासी छात्रा रोशनी ने 4 महीने पहले एमबीबीएस में एडमिशन लिया था. मंगलवार को सुबह हास्टल में रहने वाली रोशनी की सहेलियों ने जब उसे कालेज चलने के लिए आवाज लगाई और फोन लगाया और कोई भी जवाब नहीं मिलने पर घटना की जानकारी पीजी के कर्मचारियों को दी गई.

एक नजर में



बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यापारी की हत्या

ढाका. बांग्लादेश में मैनसिंह जिले के त्रिशाल उप जिला में एक हिंदू चावल व्यापारी सुशेन चंद्र सरकार की उनके ही दुकान में कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. हत्यारों ने शव को दुकान के अंदर छोड़कर शटर बंद कर दिया. वारदात के बाद हमलावरों ने दुकान का शटर बंद कर ताला लगा दिया और मौके से फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि ये घटना सोमवार रात करीब 11 बजे बांगर बाजार चौराहे पर हुई. पुलिस ने बताया कि मृतक सुसेन चंद्र सरकार मेसर्स भाई भाई इंटरप्राइजेज के मालिक थे और दक्षिणकांडा गांव के निवासी थे. दुकान में बंद किया शवपुलिस ने बताया कि व्यापारी अपनी दुकान में अकेले थे.

'घूसखोर पंडित' का बदल जाएगा नाम

नई दिल्ली. मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म 'घूसखोर पंडित' को लेकर घोषणा की बाद से ही विवाद जारी है. विवाद फिल्म के नाम को लेकर है, जिसमें पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया है. भारी विरोध के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया था. वहीं एफएमसी ने भी फिल्म पर बैन की बात कही थी, लेकिन इस मामले में अब मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया है. नेटफ्लिक्स ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि मेकर्स ने फिल्म का नाम बदलने का फैसला किया है. घूसखोर पंडित की रिलीज और स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की.

पीएम का विमान हाइवे पर उतारने की तैयारी

- ▶ मोरान में हाईवे पर बनी इमरजेंसी एयरस्ट्रिप
- ▶ 14 फरवरी को किया जाएगा ऐतिहासिक प्रयोग

नई दिल्ली, 10 फरवरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम के मोरान में एक हाईवे पर बनी इमरजेंसी एयरस्ट्रिप पर उतर सकते हैं. सूत्रों ने यह पूर्वोत्तर भारत में पहली बार होगा, जब कोई प्रधानमंत्री पारंपरिक एयरपोर्ट की बजाय हाईवे पर लैंड करेगा. यह एयरस्ट्रिप राष्ट्रीय राजमार्ग के डिब्रुगढ़-मोरान हिस्से पर बनाई गई है.

मोरान एयरस्ट्रिप एनएच-127 के 4.2 किलोमीटर लंबे हिस्से पर विकसित की गई है. यह भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ईएलएफ) है, जो सेन्य और सिविलियन (सामान्य) विमानों दोनों के लिए इस्तेमाल



की जा सकती है. ईएलएफ का मतलब है कि युद्ध या आपात स्थिति में विमान हाईवे पर उतर या उड़ान भर सकते हैं.

इससे सड़क का दोहरा फायदा होता है

रोजमर्रा की ट्रैफिक के साथ-साथ सैन्य जरूरतों के लिए यह एयरस्ट्रिप पूर्वोत्तर की रणनीतिक महत्व को बढ़ाती है, क्योंकि यह क्षेत्र चीन की सीमा से सटा है. सरकार ने ऐसे कई ईएलएफ पूरे देश में विकसित किए हैं, लेकिन मोरान वाला पूर्वोत्तर का पहला है.

क्या है पीएम मोदी की यात्रा का प्लान ?

लैंडिंग: पीएम का विमान सीधे हाइवे पर उतरगा. यह पूर्वोत्तर में पहला ऐसा मौका होगा. **डेमो:** पीएम की मौजूदगी में राफेल और सुखोई लड़ाकू विमान एक स्पेशल रियल्ले डेमो करेंगे. इसमें विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेकऑफ़ दिखाएंगे. डेमो करीब 30-40 मिनट का होगा. **उद्देश्य:** यह इवेंट भारत की इमरजेंसी तैयारियों, पूर्वोत्तर के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को दिखाएगा. पीएम की यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर के दोहरे इस्तेमाल (सिविल-मिलिट्री) पर जोर देगी. यह डेमो एयरस्ट्रिप की क्षमता को प्रदर्शित करेगा. राफेल फ्रांस से खरीदे गए आधुनिक जेट हैं, जबकि सुखोई रूस से लिए गए हैं. दोनों ही भारतीय वायुसेना के मुख्य हथियार हैं.

कैबिनेट बैठक | अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटी भी पेंशन की हकदार

एमपी में अब परिवार पेंशन का बढ़ा दायरा

प्रशासनिक संवाददाता **भोपाल, 10 फरवरी.** मप्र में अब परिवार पेंशन का दायरा बढ़ गया है. अब परिवार पेंशन के दायरे में अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटी को भी शामिल किया गया है. यानी पिता के पेंशन में ये भी भागीदार होंगे. अब तक इस तरह का प्रावधान नहीं था. कैबिनेट ने मंगलवार को मप्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2026 तथा मप्र सिविल सेवा (पेंशन का सारांशीकरण) नियम 2026 का अनुमोदन कर दिया है. अब वित्त विभाग इस संबंध में नियम जारी करेगा. नए नियम एक अप्रैल 2026 से लागू होंगे. प्रस्तावित नियमों में प्रक्रियाओं एवं अधिकारिताओं को सहज बनाया गया है, जिससे पेंशनर्स को



सुविधा होगी. संबंधित प्रकरणों का निराकरण समयसीमा में हो सकेगा. सेवानिवृत्तों को सारांशीकरण कराया जाने में सुविधा होगी तथा पेंशन सारांशीकरण मूल्य की गणना में सुविधा होगी. कैबिनेट ने मप्र सिविल सेवा

63 हजार 77 घर बिजली से होंगे रोशन
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश में 63 हजार 77 घर अब बिजली से रोशन होंगे. कैबिनेट ने अभियान के तहत बिजली के कामों को हरी झंडी दे दी है. निर्णय के तहत ऐसे अविद्युतीकृत घरों एवं 650 अविद्युतीकृत शासकीय संस्थानों में बिजली पहुंचाने के लिए 366 करोड़ 72 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है. इसमें केन्द्र शासन से 220 करोड़ 3 लाख रुपये की अनुदान राशि मिलेगी, वहीं राज्य शासन का अंश 146 करोड़ 69 लाख रुपये का होगा.

कलश यात्रा में भगदड़ से एक महिला की मौत

08 महिलाएं हुई घायल

नवग्रह मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान हादसा

नवभारत न्यूज **ग्वालियर, 10 फरवरी.** कलश यात्रा के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई. वहीं आठ महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं. भगदड़ की ये घटना डबरा में नवग्रह मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान निकाली गई कलश यात्रा के दौरान हुई. मृतका का नाम रति साहू बताया जा रहा है. वे हनुमान कॉलोनी की रहने वाली थीं. हादसे में 8 महिलाएं घायल हैं, जिनका डबरा एवं ग्वालियर के अस्पतालों में इलाज चल रहा है. पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर के डबरा में नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं. पूजा के



इसी कार्यक्रम के तहत मंगलवार को सुबह कलश यात्रा निकाली जा रही थी. यात्रा के दौरान अचानक भगदड़ मच गई और देखते ही देखते चीख-पुकार मच गई. परिजन का रो-रोकर बुरा हाल था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भगदड़ तब मची जब कलश यात्रा से पहले कलश बांटे जा रहे थे. इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने अचानक स्ट्रेडियम का गेट खोल दिया, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई.

महिलाएं एक-दूसरे पर गिर गईं. मृतक महिला की बहू ने बताया कि पुलिसकर्मियों की लापरवाही से हादसा हुआ. भीड़ को कंट्रोल नहीं किया गया. इसी वजह से सास रति साहू को भीड़ कुचलते निकल गईं. घायल सास को अस्पताल लेकर गए, तो डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती. यहां ऑक्सीजन के लिए उनकी सास 30 मिनट तक तड़प रही. दोपहर 1 बजे कलश यात्रा होनी थी. इसके लिए महिलाओं

बिखरी थी दूटी चूड़ियां

हादसे के बाद स्ट्रेडियम ग्राउंड में हर तरफ महिलाओं की चप्पलें, दूटी चूड़ियां और बिखरा सामान पड़ा मिला. कई महिलाएं हादसे के बाद भी ग्राउंड पर बैठी नजर आईं. उनका कहना था कि उन्हें यात्रा के लिए बुलाया गया था, लेकिन न तो कलश मिला और न ही सही जानकारी दी गई.

को सुबह 11 बजे स्ट्रेडियम पहुंचने के लिए कहा गया था, लेकिन सुबह 9 बजे से ही महिलाएं बड़ी संख्या में ग्राउंड पर जुटने लगी थीं. एंट्री गेट और अंदरूनी व्यवस्था के लिए आवाज लगाई और फोन पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं किया गया. कलश यात्रा के लिए 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, लेकिन भगदड़ के वक प्रभावित लोगों को चंद पुलिसकर्मी ही बचाते दिखे.

एआई कंटेंट को लेकर सरकार की सख्ती

20 फरवरी से लागू होंगे नए नियम

2026 में नए आईटी एक्ट में किया संशोधन

नई दिल्ली, 10 फरवरी. एआई जेनरेटेड कंटेंट को लेकर सरकार ने सख्ती की है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इसके लिए नया डिजिटल क्रैमवर्क तैयार किया है, जो 20 से लागू होने जा रहा है. **सिंथेटिकली जेनरेटेड इंफॉर्मेशन या एसजीआई कंटेंट** को लेकर सख्ती दिखाते हुए सरकार ने 10 फरवरी को नया नियम नोटिफाई किया है. नए आईटी एक्ट, 2026 में यह संशोधन 20 फरवरी से लागू किया जाएगा. सोशल मीडिया पर शेयर

क्या है सिंथेटिक कंटेंट

सरकार ने नए नियम में शेयर किए जाने वाले सिंथेटिक कंटेंट (एसजीआई) को स्पष्ट तरीके से परिभाषित किया है. इसमें कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी (एसजीआई) को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जो ऑडियो, विजुअल या ऑडियो-विजुअल कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एल्गोरिदमिक रूप से कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करके इस तरह से बनाई, मोडिफाई या बदली गई है, जो रीयल या ऑथेंटिक दिखाई देती है, और व्यक्तिगत या घटनाओं को इस तरह से चित्रित करती है, जो वास्तविक व्यक्तियों या वास्तविक दुनिया की घटनाओं की तरह लगती है उसे एसजीआई माना जाएगा.

किए जाने वाले एआई जेनरेटेड कंटेंट, डीपफेक, अफवाह फैलाने वाले कंटेंट और एसजीआई के लिए लेबलिंग अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार ने आईटी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड)

अमेंडमेंट नियम, 2026 जारी किया है, जिसे 20 फरवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा. इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाने वाले डीपफेक्स, अफवाहों और एसजीआई (एआई जेनरेटेड कंटेंट) के इस्तेमाल को लेकर नए दिशा-निर्देश शामिल हैं.